बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांकः यो09 / S.H.A-05 / 2023 - 670 स्वी० / यो0वि0,पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना अंतर्गत संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को मो0 7,84,03,274/– (सात करोड़ चौरासी लाख तीन हजार दो सौ चौहत्तर) रूपये की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।**

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–955 दिनांक–15.12.2020 द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1141 दिनांक–23.03.2021 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (2021–22 से 2025–26) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु बिहार विकास मिशन द्वारा संविदा के आधार पर प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, Single Window Operator एवं Multi Purpose Assistant की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी है।

4. राज्य स्तर पर आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, पटना में कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है जिसमें एक Toll Free No., 4 PRI Line एवं एक Leased Line वर्तमान में कार्यरत है। साथ ही जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में अधिष्ठापित Telephone के विपत्रों के भुगतान किया जाता है।

5. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की साफ–सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं Outsourcing के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की सुरक्षा हेतु गृह रक्षा वाहिनी की सेवाएं ली गयी है, जिसके मानदेय का भुगतान संविदा सेवाएं मद में आवंटित राशि से नियमानुसार की जायेगी।

6. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन में अधिष्ठापित विद्युत उपकरणों पर होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान विद्युत मद की राशि से नियमानुसार की जायेगी।

7. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन एवं अन्य संरचनाओं के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदत प्रशासनिक स्वीकृति एवं उपलब्ध कराये गए राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत प्रत्यार्पित राशि को पुनः वित्तीय वर्ष 2025–25 अन्तर्गत आवंटन की मांग की गयी है।

8. विमुक्त की गयी राशि का व्यय जिला योजना पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर की जाएगी।

9. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या–35–योजना एवं विकास विभाग, मुख्य शीर्ष–2235, समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष–0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, विपत्र कोड 35-2235602000117 के संबंधित विषय शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

10. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, दूरभाष, विद्युत प्रभार, प्रशिक्षण, अनुरक्षण एवं मरम्मति तथा संविदा सेवाएं मद में संबंधित जिला योजना पदाधिकारी के

नाम के संमुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए कुल 7,84,03,274/– (सात करोड़ चौरासी लाख तीन हजार दो सौ चौहत्तर) रूपये मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र0	जिला का नाम	यात्रा व्यय–1101	कार्यालय व्यय–1301	दूरभाष–1303	विद्युत प्रभार–1304	प्रशिक्षण व्यय–2003	अनुरक्षण एवं मरम्मति–2702	संविदा सेवाएँ–2802	कुल आवंटित राशि
1	औरंगाबाद	0	1000000	0	400000	0	0	1400000	2800000
2	अररिया	0	700000	15000	200000	0	0	800000	1715000
3	अरवल	0	0	0	100000	0	0	200000	300000
4	भभुआ (कैमुर)	0	0	0	50000	0	0	300000	350000
5	भागलपुर	18000	200000	0	500000	45000	0	500000	1263000
6	बेगूसराय	0	1500000	0	0	0	0	500000	2000000
7	भोजपुर	0	2200000	30000	400000	20000	0	900000	3550000
8	बांका	2000	900000	0	300000	0	0	1000000	2202000
9	बक्सर	0	900000	50000	300000	0	3044900	700000	4994900
10	दरभंगा	0	0	0	400000	0	1513185	1000000	2913185
11	मोतिहारी	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
12	गोपालगंज	0	700000	0	400000	0	0	600000	1700000
13	गया जी	0	0	0	400000	0	0	0	400000
14	जमुई	0	200000	0	0	0	0	1000000	1200000
15	जहानाबाद	0	800000	30000	300000	0	0	700000	1830000
16	खगड़िया	0	0	0	0	0	4209300	0	4209300
17	किशनगंज	0	0	0	0	0	1489579	0	1489579
18	कटिहार	0	400000	0	200000	0	0	700000	1300000
19	लखीसराय	0	200000	0	0	0	0	800000	1000000
20	मधुबनी	0	400000	0	400000	0	0	600000	1400000
21	मधेपुरा	30000	400000	18000	300000	0	0	1000000	1748000
22	मुंगेर	0	500000	90000	50000	5000	10121647	1000000	11766647
23	मुजफ्फरपुर	0	0	0	500000	0	0	600000	1100000
24	नालन्दा	2000	500000	0	400000	4000	0	800000	1706000
25	नवादा	0	500000	10000	300000	0	0		810000
26	पूर्णियाँ	0	100000	20000	300000	5000	0	900000	1325000
27	पटना	0	1000000	100000	650000	0	0	400000	2150000
28	रोहतास (सासाराम)	0	1500000	0	400000	0	0	400000	2300000
29	सहरसा	0	0	0	400000	0	0	500000	900000
30	शिवहर	2000	500000	5000	400000	4000	1841554	600000	3352554
31	1शेखपुरा	0	100000	5000	200000	0	0	900000	1205000
32	सितामढ़ी	0	0	0	0	0	0	900000	900000
33	सुपौल	0	1500000	10000	100000	0	0	600000	2210000
34	सारण	0	900000	0	0	0	0	400000	1300000
35	समस्तीपुर	0	0	0	400000	0	4613109	400000	5413109
36	सिवान	0	0	0	200000	0	0	600000	800000
37	वैशाली	0	0	450000	200000	0	0	0	650000
38	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	0	0	0	350000	0	0	800000	1150000
	कुल	54000	17600000	833000	9500000	83000	26833274	23500000	78403274

(सात करोड़ चौरासी लाख तीन हजार दो सौ चौहत्तर रूपये)

10. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला योजना पदाधिकारी होंगे।

11. उक्त राशि की निकासी संबंधित विषय शीर्ष अन्तर्गत पूर्व निर्गत ओदश के अनुरूप ही खर्च होंगे। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य विषय शीर्ष के तहत नहीं किया जाएगा।

12. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह 5वीं तारीख तक जिला योजना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं भुगतान के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(रणजीत कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 670 स्था० /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 670 स्था० /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपिः विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एंव विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 670 स्था० /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 670 स्था० /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 670 स्था० /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपिः मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 670 स्था० /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10/9/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 670 स्था० /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10/9/25
सरकार के अपर सचिव

② आई० टी० प्रबंधन